EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

"EPCH HOUSE" POCKET 6 & 7, SECTOR - C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110 070
Tel.: +91-11-26135256 / 57 / 58
Fax: +91-11-26135518 / 19

E-mail: mails@epch.com
Web : www.epch.in

PRESS RELEASE

HON'BLE UNION MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY ANNOUNCES FOREIGN TRADE POLICY 2023

MORADABAD AND VARANASI DECLARED AS TOWN OF EXPORT EXCELLENCE FOR HANDICRAFTS

New Delhi - March 31, 2023 – Today Hon'ble Union Minster of Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal announced the new Foreign Trade Policy 2023. Also present on the occasion were Smt. Anupriya Patel, Minister of State, Commerce & Industry, Senior Government Officials and heads of Export Promotion Councils and Industry Associations.

The Hon'ble Minister while addressing the gathering said that the new Foreign Trade Policy is dynamic, WTO compatible and hoped that it will bring continuity and stability as the policy is not time bound and open for amendments as per the needs of the trade and global economic environment and will help trade facilitation and export promotion. The Foreign Trade Policy is a vision document which aims to make India a developed economy in this 'Amrit Kaal'.

Shri Raj Kumar Malhotra Chairman-EPCH said that the new FTP is progressive and forward-looking and aims to achieve 2 trillion dollar merchandise and services exports by 2030. He welcomed the declaration of Moradabad and Varanasi as Towns of Export Excellence (TEE) and hoped that it will boost the exports from these two very important handicraft clusters in the years to come. Adding further, he said that various provisions in the new FTP would result in increase in exports of handicrafts items in the financial year 2023-24 and help the sector maintain the growth and achieve its export target.

The Handicrafts Sector has been given due recognition in this FTP 2023 and some of the major provisions include the following:-

- Moradabad and Varanasi (Uttar Pradesh) have been added in the list of Town of Export Excellence (TEE) for handicraft sector, which will make these towns eligible for enhanced financial provision for marketing, capacity building and infrastructure under various Government schemes.
- The Status holder export thresholds have been rationalized.
- All FTP benefits are to be extended to the e-Commerce exports and the value limit for exports through courier services is extended from Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs.
- Special outreach and training activities for small e-commerce exporters.
- Benefits of Self-Ratification Scheme for fixation of Input-Output Norms extended to 2 star and above status holders in addition to Authorised Economic Operators at present
- Taking a step forward in the direction of ease of doing business, the present FTP focus on online approval and reduction in time frame in promotional scheme and also reduction in fee for MSMEs under AA and EPCG schemes.
- Special Amnesty scheme for one-time settlement of default in export obligation by Advance Authorization and EPCG authorization holders being introduced.

EPCH is a nodal agency, promoting exports of handicrafts from the Country to various destinations of the world and projecting India's image abroad as a reliable supplier of high quality handicrafts goods & services. The Handicrafts exports during the year 2021-22 was Rs. 33253.00 Crores (US \$ 4459.76 Million) and during April-February' 2022-23 is Rs. 28,727.91 Crores and USD 3505.84 Million informed by Shri R.K. Verma, Executive Director-EPCH.

For more information, please contact: Shri R.K. Verma, Executive Director-EPCH, +91-9810697868

Encl: English & Hindi Version alongwith photo attached

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

"EPCH HOUSE" POCKET 6 & 7, SECTOR - C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110 070
Tel.: +91-11-26135256 / 57 / 58
E-mail: mails@epch.com
Fax: +91-11-26135518 / 19
Web : www.epch.in

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 घोषणा की

मुरादाबाद और वाराणसी को हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में घोषित किया गया

नई दिल्ली - 31 मार्च, 2023 - आज माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा, श्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की। इस अवसर पर श्रीमतीअनुप्रिया पटेल, राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग, विरष्ठ सरकारी अधिकारी और निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के प्रमुख भी उपस्थित थे।

माननीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नई विदेश व्यापार नीति गतिशील, विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल है और उम्मीद है कि यह निरंतरता और स्थिरता लाएगी क्योंकि यह नीति समयबद्ध नहीं है और व्यापार और वैश्विक जरूरतों के अनुसार संशोधन के लिए खुली है और निर्यात प्रोत्साहन में मदद करेगी। विदेश व्यापार नीति एक विजन दस्तावेज है जिसका उद्देश्य इस 'अमृत काल' में भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है।

ईपीसीएच के अध्यक्ष श्री राज कुमार मल्होत्रा ने कहा कि नई एफ़टीपी प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी है और इसका उद्देश्य 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के माल और सेवाओं का निर्यात हासिल करना है। उन्होंने मुरादाबाद और वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई) घोषित किए जाने का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि यह आने वाले वर्षों में इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तकला शहरों से निर्यात बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नई एफटीपी में विभिन्न प्रावधानों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र को विकास को बनाए रखने और अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इस एफटीपी 2023 में हस्तशिल्प क्षेत्र को यथोचित मान्यता दी गई है और कुछ प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- हस्तिशिल्प क्षेत्र के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई) की सूची में मुरादाबाद और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को जोड़ा गया है, जो इन शहरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विपणन, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय प्रावधान के लिए योग्य बनाएगा।
- स्टेटस होल्डर निर्यात सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- सभी एफ़टीपी लाभों को ई-कॉमर्स निर्यात तक बढ़ाया जाना है और कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा रु 5 लाख से 10 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।
- छोटे ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए विशेष आउट रीच और प्रशिक्षण गतिविधियां।
- वर्तमान में प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के अलावा 2 स्टार और उससे ऊपर के स्तर के धारकों के लिए इनपुट-आउटपुट मानदंडों के निर्धारण के लिए स्व-पुष्टि योजना के लाभ
- > व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, वर्तमान एफ़टीपी ऑनलाइन अनुमोदन और प्रचार योजना में समय सीमा में कमी और एए और ईपीसीजी योजनाओं के तहत एमएसएमई के लिए शुल्क में कमी।
- एडवांस ऑथोरिसेशन और ईपीसीजी प्राधिकरण धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एकमुश्त निपटान के लिए विशेष माफी योजना शुरू की जा रही है।

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर के वर्मा ने अवगत कराया कि ईपीसीएच दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प उत्पादों और सेवाओं के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि बनाने के लिए जिम्मेदार एक नोडल संस्थान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 33253.00 करोड़ (4459.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जिसमें बीते वर्ष की तुलना में रुपये के संदर्भ में 29.49% और डॉलर के संदर्भ में 28.90% की वृद्धि दर्ज हुई है.

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री आर के वर्मा, कार्यकारी निदेशक - ईपीसीएच , +91-9810697868

